अपील/ एलआर/6425 / 2006/ श्रीगंगानगर
मंगत सिंह बनाम सरकार
अपील/ एलआर/6426 / 2006/ श्रीगंगानगर
संतोष सिंह बनाम सरकार
अपील/ एलआर/6427 / 2006/ श्रीगंगानगर
साधु सिंह सिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
23–12–25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री आर.एस.बराड, अभिभाषक अपीलांट श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड, उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** 1. हस्तगत् तीनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं. 132, 133 व 136/06 में पारित निर्णय दिनांक 18–8–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। तीनों अपीलों में प्रकरण की विषय वस्तु, पक्षकार व अपीलीय न्यायालय का निर्णय समान होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति तीनों अपीलों के साथ संलग्न की जावें। 2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट मंगतसिंह द्वारा चक 51 जीवी के मुरब्बर नंबर 40 रकबा 5.415 हैक्टयर एवं मुरब्बा नंबर 39 रकबा 1.240 हैक्टयर कुल 6.655 हैक्टयर, अपीलांट संतोष सिंह द्वारा चक नंबर 51 जीबी के मुरब्बा नंबर 59 रकबा 1.973 हैक्टयर कमाण्ड एवं अपीलांट साधूसिंह द्वारा चक 51 जीवी के मुरब्बा नंबर 18 रकबा 5.453 हैक्टयर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के आधार पर नायब तहसीलदार विजयनगर ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अंतर्गत कार्यवाहीं करते हुये आदेश दिनांक 18–3–06 से तावान कायम कर भू अभिलेख निरीक्षक के पूर्व में जारी कुर्की आदेश का अनुमोदन कर दिया तथा फसल नीलाम करने व तावान वसूल करने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 18–8–06 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर ये तीनों अपीलें प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना किसी जांच एवं विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलांट के पिता अमरसिंह के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाहीं में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर ने निर्णय दिनांक 18–5–96 द्वारा सरप्लस भूमि को रकबा राज दर्ज करने के आदेश दिये। जिसके विरूद्ध मंडल में अपील प्रस्तुत करने पर मंडल ने	

अपील/ एलआर/6425 / 2006/ श्रीगंगानगर
मंगत सिंह बनाम सरकार
अपील/ एलआर/6426 / 2006/ श्रीगंगानगर
संतोष सिंह बनाम सरकार
अपील/ एलआर/6427 / 2006/ श्रीगंगानगर
साधु सिंह सिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	निर्णय दिनांक 30–5–98 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर का निर्णय दिनांक 18–5–96 को निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पिता अमर सिंह के खिलाफ की गई सीलिंग कार्यवाहीं मंडल द्वारा समाप्त की जा चुकी है तथा मंडल का निर्णय अंतिम हो चुका है तथा अधिग्रहण भूमि पुनः मूल ऐसेसी अमरसिंह के खाते में दर्ज होनी चाहिये। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 18–5–96 की पालना में तुरंत रकबा राज दर्ज कर दिया गया किंतु मंडल के निर्णय दिनांक 30–5–98 की पालना में आज तक रकबा राज से हटाकर पुनः अपीलांट या अपीलांट के पिता अमरसिंह के नाम दर्ज नहीं किया गया। विवादित आराजी जब मंडल के निर्णय से रकबाराज से मुक्त कर दी गई है तो नियमानुसार विवादित आराजी पुनः अमरसिंह के खाते में दर्ज किये जाने का दायित्व राजस्व कर्मचारियों का था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मंडल के निर्णय का उचित तरीके से परिशीलन नहीं किया। विवादित आराजी रकबा राज नहीं होने की स्थिति में अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाहीं नहीं की जा सकती। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने केवल कयासो के आधार पर एवं बिना दस्तावेज का अवलोकन किये निर्णय पारित किया। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाकर तीनों अपीलें स्वीकार की जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज है तथा अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर फसल बोई है। ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाहीं की गई है। नायब तहसीलदार ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण से निर्णय पारित किया है, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा भी बहाल रखा गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। 5. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। **6.** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट मंगतसिंह द्वारा चक 51 जीवी के मुरब्बर नंबर 40 रकबा 5.415 हैक्टयर एवं मुरब्बा नंबर 39 रकबा 1.240 हैक्टयर कुल 6.655 हैक्टयर, अपीलांट संतोष सिंह द्वारा चक नंबर 51 जीवी के मुरब्बा नंबर 59 रकबा 1.973 हैक्टयर कमाण्ड एवं अपीलांट साधूसिंह द्वारा चक 51 जीवी के मुरब्बा नंबर 18 रकबा 5.453 हैक्टयर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के आधार पर नायब तहसीलदार विजयनगर ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अंतर्गत कार्यवाहीं करते हुये आदेश दिनांक 18–3–06 से तावान कायम कर भू अभिलेख निरीक्षक की पूर्व में जारी कुर्की आदेश का अनुमोदन कर दिया तथा फसल नीलाम करने व तावान वसूल करने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी	

श्रीगंगानगर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 18–8–06 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर हस्तगत् अपीले प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के पिता अमरसिंह के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाहीं प्रारम्भ होने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा सीलिंग सीमा से अधिक भूमि पाये जाने पर सरप्लस भूमि निर्णय दिनांक 18–5–96 से रकबा राज की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट के पिता अमरसिंह द्वारा राजस्व मंडल में अपील प्रस्तुत होने पर मंडल की एकल पीठ ने निर्णय दिनांक 30–5–98 से अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18–5–96 को निरस्त कर दिया अर्थात अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा रकबा राज घोषित की गई विवादित आराजी पुनः मूल ऐसेसी अमरसिंह के नाम दर्ज होनी चाहिये थी किंतु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से विवादित आराजी मूल ऐसेसी अमरसिंह के खाते में दर्ज नहीं की गई तथा राजस्व रिकार्ड में रकबाराज अंकित रहा, जिसके आधार पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाहीं की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा फर्द दस्तावेज के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2074–2077 के अवलोकन से प्रकट होता है कि चक 51 जीबी के मुरब्बा नंबर 40, 39, 59, व 18 अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है। खातेदारी में दर्ज भूमि में अतिक्रमण के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 22 राजस्थान उप निवेशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत कार्यवाहीं नहीं की जा सकती है। इस एकल पीठ के विनम्र मत में विवादित आराजी मंडल की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 30–5–98 से पुनः मूल ऐसेसी अमर सिंह के नाम दर्ज होनी चाहिये थी तथा अपीलांट उसके विधिक वारिसान होकर विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार विजयनगर द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत की गई कार्यवाहीं को विधिसम्मत् एवं न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा भी सरसरी तौर पर मंडल के निर्णय दिनांक 30–5–98 का अवलोकन किये बिना नायब तहसीलदार के आदेश का समर्थन किया है, जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय पारित करते समय प्रकरण का समुचित विवेचन, विश्लेषण नहीं किया। ऐसी स्थिति में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 18–8–06 व नायब तहसीलदार विजयनगर का आदेश दिनांक 18–3–06 त्रुत्रिपूर्ण व अनियमित होने से समर्थन योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. परिणामतः हस्तगत अपीलों को स्वीकार किया जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 18–8–06 व नायब तहसीलदार विजयनगर का आदेश दिनांक 18–3–06 निरस्त किया जाता है। हस्तगत् निर्णय की प्रति पृथक पृथक पत्रावली में संलग्न की जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

अपील / एलआर / 6425 / 2006 / श्रीगंगानगर
मंगत सिंह बनाम सरकार
अपील / एलआर / 6426 / 2006 / श्रीगंगानगर
संतोष सिंह बनाम सरकार
अपील / एलआर / 6427 / 2006 / श्रीगंगानगर
साधु सिंह सिंह बनाम सरकार